यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ ,पौड़ी गढ़वाल ,के माह 04/2016 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26/11/2018 से 03/12/2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा, श्री संतोष कुमार गुप्ता सहा० लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21/04/2016 से 02-05-2016 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** छात्र / छात्राओ को विधालयो मे मध्याहन भोजन का संचालन करना। इकाई ज़िला मुखयालय पौड़ी से देवप्रयाग रोड निकट आकाशवाणी केंद्र मे स्थित हें ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधिक्य (+)	बचत (-)
		प्रा.शे.	आवंटन	व्यय	प्रा.शे.	आवंटन	व्यय		
1.	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
2.	2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
3.	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
4.	2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	बचत
2015-16	मध्याहन भोजन योजना	235.04	1257.28	16.53	1508.85	1214.62	294.23
2016-17		294.23	1460.23	14.55	1769.01	1463.63	305.38
2017-18		305.38	1377.92	10.31	1693.61	1277.09	416.52
2018-19(11/2018)		416.52	535.85	6.38	958.75	789.33	169.42

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी “बी है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

राज्य परियोजना निदेशक उतराखंड देहारादून

↓

अपर राज्य परियोजना निदेशक उतराखंड देहारादून

↓

संयुक्त निदेशक मध्याहन भोजन योजना उतराखंड

↓

ज़िला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी गढ़वाल

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण कार्यालय जिला शिक्षा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016 एवं 0/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- विभिन्न मदों की अवशेष तथा ब्याज से प्राप्त धनराशि ₹ 169 लाख अनुपयोगी रहना।

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल, सीमेंट भवन ननूरखेड़ा देहारादून के पत्रांक रा.प.का. / 697 / एम.डी.एम.-02(2017) /2017-18 दिनांक 04 जनवरी 2018 के अनुसार कुकिंग मूल्य एवं भोजनमाताओं के मानदेय मद से ब्याज की धनराशि का समायोजन किया गया था और तदनुसार ही उक्त मदों में समायोजनोपरांत धनराशि अन्तरित की गई थी ।
इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान उक्त दोनों मदों के साथ-साथ अन्य मदों की अवशेष धनराशियों पर प्राप्त; बैंक ब्याज की धनराशि, निम्ननानुसार अनुपयोगी पड़ी हुई थी ।

वर्ष	कुकिंग मूल्य के साथ अन्य मदों की अवशेष धनराशि ₹ में (1)	अवशेष धनराशि पर ब्याज ₹ में (2)	वर्ष के अन्त में अनुपयोगी पड़ी हुई ब्याज सहित कुल धनराशि ₹ में (1+2)
2016-17	29083555	1454694	30538249
2017-18	40620429	1032048	41652477
2018-19 till 10/2018	15272198	1669722	16941920
माह 10/2018 तक अनुपयोगी पड़ी हुई ब्याज सहित कुल धनराशि			16941920

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ के उपरोक्त पत्रांक द्वारा ब्याज की धनराशि को संबन्धित मदों की मांग के अनुसार समायोजित कर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जानी अपेक्षित थी । परंतु जनपदीय प्रकोष्ठ (इकाई) द्वारा ब्याज की धनराशि को समायोजित नहीं करते हुये व्यय हेतु धनराशि की मांग किए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न मदों की अवशेष तथा ब्याज से प्राप्त इतनी बड़ी धनराशि अनुपयोगी पड़ी रही ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ ,पौड़ी गढ़वाल को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे 90% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं 10% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित धनराशि क्रमशः- ₹ 9.85 करोड़ एवं ₹ 9.07 करोड़ के सापेक्ष ₹ 7.8 करोड़ एवं ₹ 9.07 करोड़ उपयोगिता प्रमाणपत्र संप्रेक्षा समाप्ती तिथि 03/012/18 तक उपलब्ध न कराने के संबंध मे ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ पौड़ी गढ़वाल द्वारा संचलित मध्याहन भोजन योजना की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया हें कि इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे पौड़ी जनपद के विभिन्न ब्लॉक स्तर के अनतेरगत आने वाले UPS एवं PS विद्यालयों मे क्लास -01 से 08 वी क्लास तक के छात्र एवं छात्राओ को मध्याहन भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना का इकाई द्वारा संचालन किया गया था जिसमे से निम्न कार्यों/योजनाओ के उपयोगिता प्रमाण पत्र संप्रेक्षा समाप्ती तिथि -03/12/2018 तक इकाई को विभिन्न ब्लॉक स्तर से अप्राप्त थे, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	वर्ष-2016-17 एवं -2017-18 मे विभिन्न ब्लॉक को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी धनराशि	योजना का नाम	इकाई/ब्लॉक का नाम	उपयोगिता प्रमाण पत्र संप्रेक्षा समाप्ती तिथि -03/12/2018
01	₹ 9.85 करोड़ एवं ₹ 9.07 करोड़/2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	4283057.00
02	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	5441651.00
03	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	4340491.00
04	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	7659552.00
05	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	10278000.00
06	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	11196000.00
06 A	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	4824000.00
07	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	6498000.00
08	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	17362.00
09	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	75000.00
10	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	45000.00
11	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	57565.00
12	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	1500.00
13	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	45000.00
14	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	2010737.00
15	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	1704323.00
16	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	388800.00
17	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	574051.00
18	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	7885589.00
19	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	32850.00
20	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	48000.00

21	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	24339808.00
22	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	30928999.00
23	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	38009500.00
24	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	19994000.00
25	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	104847.00
26	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	150000.00
27	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	143885.00
28	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	77691.00
29	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	2668496.00
30	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	3271790.00
31	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	35000.00
32	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	1386000.00
33	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	526200.00
34	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	902355.00
35	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	2936000.00
36	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	32000.00
37	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	1239613.00
38	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	159320.00
39	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	7227360.00
40	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	80540.00
41	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	821815.00
42	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	159320.00
41	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	160000.00
42	2016-17	मध्याहन भोजन योजना	DEO(B) पौड़ी	1864000.00
	योग			204625067.00

उक्त प्रकरण मे कार्यदाई संस्था के द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलबद्ध न कराना एवं इकाई द्वारा कार्य समाप्ती रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी ।इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे इस कार्यालय को अवगत कराया गया हें कि ₹ 7.80+9.07=16.87 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दिये जायगे इकाई का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा वर्ष -2016-17 मे मात्र ₹ 2.05 करोड़ एवं वर्ष 2017-18 मे जारी धनराशि के सापेक्ष शून्य धनराशि के उपियोगिता प्रमाणपत्र इकाई स्तर से संप्रेक्षा को उपलब्ध कराये गए। इकाई द्वारा कार्य समाप्ती रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- किचन-स्टोर निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का 50% की प्रथम किस्त के सापेक्ष 100% धनराशि का भुगतान ₹ 1.98 लाख

मध्याह्न भोजन योजना, उत्तराखण्ड शासन की दिशा-निर्देश पुस्तिका प्रथम संस्करण-2012 के अनुसार किचन-स्टोर निर्माण कार्य हेतु धनराशि निश्चित है, इसी के अंतर्गत निर्माण कार्य निर्देशित मानकों अनुरूप करने होंगे । यह धनराशि कार्य की प्रत्येक अवस्था में निरीक्षण के बाद किस्तों में अदा की जाएगी। अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को निर्माण सम्बन्धी सभी वांछित प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात-

पहली किस्त 50 प्रतिशत अग्रिम राशि के रूप में विद्यालय प्रबन्धन समिति / शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन को देना तय किया गया है। जिसके अंतर्गत नीव भराई प्लिंथ बैंड खिड़की दरवाजों की चौखट डोर बैंड स्तर तक दीवारों का निर्माण डोर बैंड ढलाई का कार्य शामिल होगा ।

द्वितीय किस्त का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति / शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा आवेदन कर 25 प्रतिशत के रूप में दी जाएगी परंतु इस किस्त का भुगतान प्रथम किस्त के संतोषजनक उपभोग एवं उप खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं तकनीकी पर्यवेक्षक की संस्तुति के पश्चात ही किया जाएगा । इसके अंतर्गत डोर बैंड के ऊपर की चिनाई एवं छत ढलाई का कार्य शामिल होगा ।

तृतीत किस्त का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति / शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा आवेदन कर 25 प्रतिशत के रूप में दी जाएगी परंतु इस किस्त का भुगतान द्वितीय किस्त के संतोषजनक उपभोग एवं उप खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं तकनीकी पर्यवेक्षक की संस्तुति के पश्चात ही किया जाएगा । इसके अंतर्गत प्लास्टर फर्श, पुताई, छत की ग्राउटिंग, एप्रन, बिजली कार्य दरवाजे खिड़की फिटिंग एवं अन्य कार्य शामिल होगा । तृतीत किस्त जो कि निर्माण कार्य की 25 % होगी, निर्गत करते समय; अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि का 10 % भुगतान, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही बैक से अहरित किया जाएगा।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खण्ड मल्ला तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बमोर्थ ब्लाक थलीसैड़ पौड़ी (गढ़वाल) को किचन-स्टोर निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक को स्वीकृत धनराशि का 100% की दर से ₹ 1,98,000 प्रति विद्यालय (कुल 1,98,000 x 2 =₹ 3,96,000) की धनराशि दिनांक 26.04.2018 को आवंटित की गई थी । जवकि मध्याह्न भोजन योजना, उत्तराखण्ड शासन की दिशा-निर्देश पुस्तिका के अनुसार किचन-स्टोर निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का 50% की दर से प्रथम किस्त हेतु ₹ 3,96,000 के सापेक्ष मात्र ₹ 1,98,000 का ही भुगतान प्रथम किस्त के रूप में किया जाना था तथा शेष 25-25% धनराशि का भुगतान प्रथम किस्त की धनराशि का संतोषजनक उपभोग किए जाने के पश्चात ही किया जाना था। परंतु इकाई द्वारा सम्पूर्ण 100% धनराशि का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में ही कर दिया गया । इसके बावजूद भी उक्त दोनों विद्यालयों की उदासीनता के कारण 6 माह पश्चात भी किचन-स्टोर निर्माण कार्य का प्रथम चरण भी पूर्ण नहीं किया गया और इसके विपरीत विद्यालय के बैंक खाते से सम्पूर्ण धनराशि को अहरित कर लिये जाने के कारण ₹ 3,96,000 की धनराशि के अनुचित उपयोग किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि विद्यालय दूरस्थ क्षेत्र तथा विकट भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण शतप्रतिशत धनराशि विद्यालय को प्रेषित की गई।

अतः किचन-स्टोर के प्रथम चरण के निर्माण कार्य के लिए उपरोक्त दौनों विद्यालयों हेतु अग्रिम धनराशि 50% (₹ 1,98,000) के सापेक्ष 100% (₹ 3,96,000) धनराशि का भुगतान किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर -2 : मध्याहन भोजन योजना (MDM) की राज्य share की (10%) धनराशि से प्राप्त ब्याज ₹ 16.22 लाख को अनियमित रूप से बचत खाते मे रखना एवं संप्रेक्षा तिथि-(12/2018 तक) राजस्व खाते मे जमा न करना।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ ,पौड़ी गढ़वाल की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा मध्याहन भोजन योजना (MDM) की धनराशि जो 90% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थी एवं राज्य share की (10%) धनराशि थी ।,उक्त राज्य share की (10%) धनराशि से प्राप्त ब्याज ₹ 16.22 लाख की धनराशि बचत खाते मे रखी गयी थी जिस पर निम्न वर्षो मे इकाई द्वारा ब्याज प्राप्त किया गया था जिसका विवरण निम्नवत है ।

धनराशि(लाख) मे

क्र 0स 0	योजना का नाम	वर्ष	प्रा. अवशेष	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि	बैंक का नाम एवं खाता संख्या/ब्याज मद का नाम
01	मध्याहन भोजन योजना (MDM	2015-16	25.76	4.13	-	29.89	SBI NO-31335949221 एवं PNB No-1370000102101563/0049-ब्याज प्राप्ति मद ।
02	-	2016-17	29.89	1.46	16.79	14.56	SBI NO-31335949221 एवं PNB No-1370000102101563/0049-ब्याज प्राप्ति मद ।
03	-	2017-18	14.56	1,03	-	15.59	SBI NO-31335949221 एवं PNB No-1370000102101563/0049-ब्याज प्राप्ति मद
04	-	2018-19 (11/18)	15.59	0.64	-	16.22	SBI NO-31335949221 एवं PNB No-1370000102101563/0049-ब्याज प्राप्ति मद

उक्त प्रकरण मे कॉलेज द्वारा मध्याहन भोजन योजना (MDM) की राज्य share की (10%) धनराशि को न तो शासन से बचत खाते मे रखने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी थी न ही 03 वर्षो मे उक्त अर्जित ब्याज को राज्य सरकार के ब्याज राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने का कोई प्रयास किया गया था। संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा उक्त के सम्बंध मे तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया गया हें कि उक्त राज्य share की (10%) धनराशि ₹ 16.22 लाख को अविलम्ब राज्य सरकार के ब्याज राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने हेतु शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किये जायेगें । विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं ,क्योंकि विभाग द्वारा बचत खाते मे योजना की धनराशि को रखने के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
07/2016-17	शून्य	1,2,3	शून्य
160/2014-15	-	1	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की स्वीकृत के उपरांत आपके कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री के.एस. रावत	जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) MDM पौड़ी गढ़वाल	19.08.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.